भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *144

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

07 श्रावण, 1944 (शक)

आधार कूटलेखन के संबंध में सुरक्षा संबंधी चिंताएं

***144. श्री बिनोय विस्वम** :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (अक्तूबर 2020) का संज्ञान लिया है जिसमें आधार डेटा वॉल्ट की प्रक्रिया और कूटलेखन पद्धति पर प्रश्न उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्रवाई की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यू आई डी ए आई द्वारा उस परामर्शी को जारी करने और बाद में उसे वापस ले लेने के क्या कारण हैं जिसमें लोगों को यह कहा गया था कि वे आधार कार्ड की प्रतिलिपि किसी के साथ साझा न करें;

(घ) आधार के संबंध में लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए;

(ड.) वर्ष 2019 से अब तक कुल कितने नकली आधार कार्ड रद्द किए गए हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या आधार डेटा वॉल्ट बनाए जाने के बाद से इसमें सेंध लगाने की कोई घटना हुई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से **(च)** : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

आधार कूटलेखन के संबंध में सुरक्षा संबंधी चिंताएं के संबंध में दिनांक 29.07.2022 को राज्य सभा में पूछे गए
तारांकित प्रश्न सं. *144 के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

******

(क) : जी, हां।

आधार डेटा वॉल्ट (https://uidai.gov.in/images/resource/FAQs_Aadhaar_Data_Vault_v1_0_13122017.pdf लिंक पर उपलब्ध) के संबंध में यूआईडीएआई के दिनांक 25.07.2017 परिपत्र के संदर्भ में जारी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के माध्यम से यह कहा गया है कि सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन के लिए आरएसए-2048 और सममित एन्क्रिप्शन के लिए एईएस-256 के मानकों का अनुपालन करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, "यूआईडीएआई के कामकाज पर निष्पादन लेखा परीक्षा" पर सीएजी की वर्ष 2021 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या 24 के पैरा 5.2.3 में *अन्य बातों के साथ-साथ* आधार डेटा वॉल्ट का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और स्वतंत्र रूप से आवधिक लेखा परीक्षा करने की सिफारिश की गई है।

(ख) : सूचना सुरक्षा (आईएस) अधिप्रमाणन प्रयोक्ता अभिकरणों (एयूए) की लेखा परीक्षा स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा वार्षिक आधार पर की जाती है।

वर्ष 2020-21 के लिए, 164 एयूए में से 156 की आईएस ऑडिट (एडीवी सहित) की गई है। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 के लिए अब तक यूआईडीएआई को 169 एयूए में से 133 की आईएस ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

(ग) : यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु ने फोटो-शॉप किए गए आधार कार्ड का दुरुपयोग करने के प्रयास के संदर्भ में 27.05.2022 को एक परामर्शी पत्र जारी किया था। हालांकि, इसकी गलत व्याख्या की संभावना को देखते हुए, इसे 29.05.2022 को वापस ले लिया गया था।

(घ) : आधार नंबर धारकों को अपने आधार नंबरों का उपयोग करने और साझा करने में सामान्य विवेक का प्रयोग करना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, एक आंशिक रूप से छिपा हुआ आधार जो आधार संख्या के केवल अंतिम 4 अंकों को प्रदर्शित करता है, का उपयोग किया जा सकता है। एक निवासी वर्चुअल आइडेंटिफ़ायर (वीआईडी) का भी उपयोग कर सकता है जो एक परस्पर विनिमय योग्य 16-अंकीय यादृच्छिक संख्या है जिसे उसके आधार नंबर के साथ मैप किया गया है।

इसके अलावा, यूआईडीएआई निवासियों को आधार लॉकिंग और बायोमेट्रिक लॉकिंग की सुविधा भी प्रदान करता है जो आधार नंबर की और अधिक सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करता है।

(ङ.) : वर्ष 2019 से अब तक कुल 1,25,454 डुप्लीकेट आधार रद्द किए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

(च) : यूआईडीएआई के आधार डेटाबेस वॉल्ट का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

******

अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार रद्द किए गए आधार

राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आधार की संख्या	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आधार की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	63	मध्य प्रदेश	13083
आंध्र प्रदेश	20696	महाराष्ट्र	9788
अरुणाचल प्रदेश	22	मणिपुर	70
असम	42	मेघालय	1
बिहार	10722	मिजोरम	17
चंडीगढ़	226	नागालैंड	9
छत्तीसगढ़	2940	ओडिशा	3661
दादरा और नगर हवेली	22	पुडुचेरी	242
दमन और दीव	29	पंजाब	2671
दिल्ली	5385	राजस्थान	4313
गोवा	74	सिक्किम	18
गुजरात	4343	तमिलनाडु	2619
हरियाणा	3135	तेलंगाना	3025
हिमाचल प्रदेश	591	त्रिपुरा	304
झारखंड	7963	उत्तर प्रदेश	10590
कर्नाटक	12552	उत्तराखंड	564
केरल	1076	पश्चिम बंगाल	4591
लक्षद्वीप	7		

कुल: 1,25,454

****